न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –पिंकी आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 03 / 32 जीसीएमएस संख्या:–2024 / 192 दर्ज तिथि:–11.06.2024

1. महावीर सिंह पुत्र जोरसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम राजपुरा जागीर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरसिंह
2. कृष्णसिंह
3. दिलीपसिंह
2. समस्त पुत्रान सोहनसिंह जातियान राजपूत निवासीयान ग्राम राजपुरा जागीर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ता:– श्री चेतराम गुर्जर।
अप्रार्थी अधिवक्ता :– श्री गोपीराम शर्मा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि:–29.08.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम द्वारापुर तहसील थानागाजी जिला अलवर में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व मौका हाल आराजी खसरा नम्बर 368/0.47 है0 में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा, खसरा नम्बर 367/0.05 है0 में प्रार्थी का 1/12 पर कब्जे काश्त है। उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी अपने हिस्सेनुसार काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार थानागाजी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार थानागाजी के आदेश पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03.06.2022 को मौके पर उपस्थित होकर सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 03.06.2022 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की विधिवत तामील करायी गयी। अप्रार्थी ने न्यायलय में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपनी हिस्सा आराजी में मौके पर रास्ते को बंद करना चाहता है जबकि उक्त आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की शामलाती आराजी है। शामलाती आराजी की पत्थरगढी होना संभव नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 367/0.05 है0 गै0 मु0 चाह के अन्य खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया। प्रकरण में 04 वर्ष पूर्व पैमाईश हुई है जिसके आधार पर पत्थरगढी संभव नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी को पक्षकार बनाये बिना पेश किया है जबकि तहसीलदार थानागाजी को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। अन्त में अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आवेदित आराजी शामलाती आराजी है तथा अप्रार्थीगण पडोसी खातेदार न होकर सहखातेदार है। जब तक उक्त विवादित आराजी का बँटवारा नहीं होता है पैमाईश किया जाना संभव नहीं है।

3. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी को पत्र क्रमांक कोर्ट/2023/152 दिनांक 06.05.2025 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु

लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार थानागाजी द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 18.08.2025 को न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई।

4. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि बिना बँटवारा के पैमाईश किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.*** *— (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, In the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

6. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये

है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> **128. Boundary disputes.** - *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

7. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074–77 वाकै ग्राम द्वारापुर में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार थानागाजी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम द्वारापुर के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित नहीं होता है। उक्त आराजी शामलाती आराजी है। उक्त विवादित आराजी में खसरा संख्या 367/0.05 है0 गै0 मु0 चाह में अप्रार्थीगण पडोसी खातेदार न होकर सहखातेदार है। ऐसी स्थिति में बिना विधिक तकासमा के पत्थरगढी किया जाना संभव नहीं है। अतः

आदेश हैं कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(पिंकी आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)